

## कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—मा/माध्य/अ-4/क्रमोन्नति/राउमावि/21307/2022-23

दिनांक : 23/12/2022

जिला शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय)—माध्यमिक,  
बीकानेर/नागौर।

विषय : 02 राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

प्रसंग : शासन का पत्रांक : प. 4(6)शिक्षा-1/2022 जयपुर, दिनांक 15.12.2022


उपर्युक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण वर्ष 2022-23 के बिन्दू संख्या 28(iv) की अनुपालना में 02 राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति अग्रकित शर्ताधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

S. No.	District	Block	UDISE	Name of School
1	BIKANER	NOKHA	8030409307	GOVT. GIRLS SECONDARY SCHOOL RODA (211422)
2	NAGOUR	LADNUN	8140606604	GOVT. GIRLS SECONDARY SCHOOL MEETHRI (213482)

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आईडी संख्या 102206706 दिनांक 13.12.2022 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

शर्तें—


1. क्रमोन्नत विद्यालय सत्र 2022-23 से प्रारंभ होंगे।
2. स्वीकृति के वर्ष में केवल कक्षा 11 प्रारम्भ की जा सकती है।
3. उक्त विद्यालयों में कला संकाय एवं संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रुचि के आधार पर विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) से प्रस्ताव प्राप्त कर प्रारम्भ किया जावे तथा उक्त प्रस्ताव विषय आवंटन हेतु इस कार्यालय को एक सप्ताह में आवश्यक रूप से प्रेषित करें।
4. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दू संख्या 6.1 के अनुसार नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय में, प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषय के व्याख्याता ही देय होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जावें।
5. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दू संख्या 6.3 के अनुसार नवक्रमोन्नत विद्यालय में नवसृजित व्याख्याताओं के पदों को भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में ऑपरेट किया जायेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती/पदोन्नति हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जावे।
6. विद्यालय के क्रमोन्नति आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, पंचायत समिति, जिला व यू-डाईस कोड आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें।

  
(गौरव अग्रवाल)  
आई.ए.एस.  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. शासन उप सचिव—प्रथम, शिक्षा(ग्रुप-1) विभाग राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ ।।
7. जयपुर, माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र, राजस्थान, जयपुर।

8. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
9. संबंधित संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर, संभाग।
10. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
11. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
12. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-एबी/एफ/सी/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण को सूचनार्थ हेतु।
13. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी, अनुभाग हाजा।
16. रक्षित पत्रावली।

  
उपनिदेशक (माध्यमिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

